

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 2025—चैत्र 7, शक 1947

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. C-2050

Jabalpur, the 6<sup>th</sup> March 2025

In exercise of the powers conferred by Articles 225 of the Constitution of India, section 54 of the States Reorganisation Act, 1956, clauses 27 and 28 of the Letters Patent, the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008, which shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Official Gazette (Extra-ordinary).

## AMENDMENTS

1. In chapter –I, in sub-rule (23) of Rule 4, clause (3), (4) (5) and (6) shall be omitted and clause (7) shall be renumbered as clause (3).
2. (i) In chapter IV, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely ;

**“15. Subsequent applications for Bail/Criminal Matters arising out of particular FIR (Crime Number & Police Station) - All subsequent applications under sections 430(1), 482 and 483 of the Sanhita, 2023 and all subsequent criminal matters arising out of particular FIR (Crime Number & Police Station), shall be listed before the same Judge/bench, if sitting in the Roster, who/which had first decided such matter, even if earlier such matter was dismissed for want of prosecution, or dismissed as not pressed or withdrawn.**

Provided that if the Single Judge/Bench, who/which has decided any Bail matter (including Suspension of Sentence) or any other criminal matter arising out of particular FIR (Crime Number & Police Station), is not available for any reason, such as on account of change of the Roster/Assignment or is sitting in Division Bench, all such subsequent bail application and all such subsequent criminal matters arising out of same FIR (Crime Number & Police Station), shall be listed before the Regular Bench as per current Roster/Assignment.”

- (ii) In chapter IV, in sub-rule (1) of Rule 16, in clause (a), (b) and (c), at the end, after comma, the word “or” shall be added.
- (iii) In chapter IV, in sub-rule (1) of Rule 16, in clause (e), the words “is not available for any other reason.....to resume work;” shall be deleted and for the words “all the matters tied up to him in a”, the words “all matters tied up to a Judge in a” shall be substituted.

3. In chapter VIII, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely ;

“5. The Registry shall ensure that every vakalatnama –

- (1) is filed on A-4 size ledger durable paper, one side of the paper being used ;
- (2) mentions the name, age, father’s/husband’s name with complete postal address, telephone/mobile number and e-mail address (if any) of the persons(s) appointing the advocate ;
- (3) contains State Bar Council Enrolment Number, complete postal address, telephone/mobile number and e-mail address (if any) of the advocate(s) accepting the vakalatnama, for service;
- (4) bears signatures of the person(s) executing the vakalatnama and also of the advocate(s) accepting the same in the concerned row(s).”

No. C-2050

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 34 of the Advocate Act, 1961 (Act No. 25 of 1961) the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the High Court of Madhya Pradesh (Conditions of Practice) Rules, 2012, namely:-

#### AMENDMENTS

1. In Appendix 1-A (Format of Vakalatnama) in the first table, in column No. (1) for the words “Name & Father’s/Husband’s Name” the words “Name & Father’s/Husband’s Name and age” shall be substituted and in column No. (4), between the words “Telephone” and “Number” the symbol and word “/Mobile” shall be inserted.
2. In the second table, in column No. (4), between the words “Telephone” and “Number” the symbol and word “/Mobile” shall be inserted.

DHARMINDER SINGH, Registrar General.

## अन्तिम विनियम

### मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2025

क्रमांक – 570/मप्रविनिआ/2025 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) के साथ पठित धारा 43(1), धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47, धारा 48(ख), धारा 50, धारा 56, धारा 181(2)(ब) एवं 181(2)(भ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम (क्रमांक 4, वर्ष 2001), की धारा 9 (ज) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 {क्रमांक आरजी-1(II), वर्ष 2021) जिसे एतद् पश्चात् “मूल संहिता” विनिर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :-

#### मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में पंचम संशोधन

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 यह संहिता “मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (पंचम संशोधन) {क्रमांक एआरजी-1(II)(V), वर्ष 2025}” कहलाएगी।

1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश के शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

#### 2. मूल संहिता के अध्याय 2 में संशोधन :

2.1 मूल संहिता के विनियम 2.1(ख) के पश्चात् निम्न विनियम 2.1(खक) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“2.1(खक) “आवेदक (Applicant)” से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो कि एक परिसर (premises) का स्वामी (owner) और/अथवा अधिवासी (occupier) है या प्रत्याशित उपभोक्ताओं का भवन निर्माता (Builder)/विकासक (Developer)/समिति/सोसायटी (Society)/समूह (Group) है जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है” ;

2.2 मूल अधिनियमों के विद्यमान विनियम 2.1(ब) के स्थान पर एक नवीन विनियम 2.1(ब), निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“2.1(ब) “उपभोक्ता (Consumer)” से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे एक अनुज्ञप्तिधारी (licensee) या शासन या अधिनियम या अन्य किसी प्रचलित विधि के अधीन आम जनता को विद्युत आपूर्ति के व्यवसाय में संलग्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसका परिसर कुछ समय के लिये विद्युत की प्राप्ति के प्रयोजन से यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों, शासन या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से संयोजित किया गया है। कोई भी व्यक्ति :

(एक) निम्न दाब उपभोक्ता (LT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से निम्न वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो :

(दो) उच्च दाब उपभोक्ता (HT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो :

(तीन) अति उच्च दाब उपभोक्ता (EHT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से अति उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;”

2.3 मूल अधिनियम के विद्यमान विनियम 2.1 (तत) के पश्चात् एक नवीन विनियम 2.1(ततक) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“2.1(ततक) “स्वीकृत भार (Sanctioned Load)” से अभिप्रेत है किलोवाट {Kilowatt(kW)}/किलोवोल्ट एम्पीयर {Kilovolt ampere(kVA)}/ अश्वशक्ति {Horse Power(HP)} में अभिव्यक्त भार जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के आवेदन के आधार पर या फिर उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध/करार (agreement) के आधार पर, यथास्थिति, निर्धारित समय-समय पर निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमोदित किया गया हो ;”

3. मूल संहिता के अध्याय 3 में संशोधन :

मूल संहिता के विद्यमान विनियम 3.4 के स्थान पर निम्न नवीन विनियम 3.4 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“3.4 स्वीकृत भारों (Sanctioned Loads)/संविदा मांगों हेतु विद्युत प्रदाय की वोल्टेज सामान्यतः निम्नानुसार होगी :

विद्युत प्रदाय वोल्टेज	यथास्थिति, न्यूनतम स्वीकृत भार या संविदा मांग	यथास्थिति, उच्चतम स्वीकृत भार या संविदा मांग
230 वोल्ट	—	5 किलोवॉट (kW)
400 वोल्ट	2 किलोवॉट से अधिक	(एक) मांग आधारित विद्युत-दर (टैरिफ) : 150 किलोवॉट संविदा मांग, संयोजित भार की बिना किसी उच्चतम सीमा के (दो) स्वीकृत भार आधारित विद्युत-दर (टैरिफ) : 150 किलोवॉट
11 किलोवोल्ट (KV)	50 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)	300 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)
33 किलोवोल्ट (KV)	100 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)	1000 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)
132 किलोवोल्ट (KV)	5000 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)	50000 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)
220 किलोवोल्ट या इससे अधिक	40000 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)	—

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी सन्तुष्ट हो कि उपरोक्त उल्लेखित मानदण्डों से विचलन के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है तथा इस प्रकार किया गया विचलन तकनीकी तौर पर साध्य है तो वह इसके लिये कारणों को लिखित में अभिलेखित करते हुए इसे स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।”

#### 4. मूल संहिता के अध्याय 4 में संशोधन :

4.1 विनियम 4.1(ख) तथा 4.1(ग), विनियम 4.6, विनियम 4.7, विनियम 4.15, विनियम 4.16, विनियम 4.21, विनियम 4.22, विनियम 4.23, विनियम 4.24, विनियम 4.26, विनियम 4.27, विनियम 4.28, विनियम 4.29, विनियम 4.42, विनियम 4.49, विनियम 4.50, विनियम 4.51, विनियम 4.52, विनियम 4.54, में विनियम 4.58 के प्रथम चार वाक्यों, में विनियम 4.61, विनियम 4.63 तथा विनियम 4.64 में शब्द "उपभोक्ता" और/या "उपभोक्ताओं" के स्थान पर समस्त स्थानों पर क्रमशः शब्द "आवेदक" और/या "आवेदकों" स्थापित किये जाएं।

4.2 मूल संहिता के विनियम 4.3 के स्थान पर विनियम 4.3 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"4.3 आवेदकों की मांग की पूर्ति के लिये वितरण प्रसंवाही (Distribution Main) के विस्तार/उन्नयन की लागत का आवेदक द्वारा भुगतान मय विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) आदि के यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम 2021, यथा संशोधित तथा लागू में किये गये उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।"

4.3 मूल संहिता के विनियम 4.4 के स्थान पर विनियम 4.4 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"4.4 आवेदक को विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय के बिन्दु तक स्थापित की गई अधोसंरचना जो मापयन्त्र बिन्दु (metering point) तक आवेदक के परिसर के भीतर/बाहर अवस्थित हो, भले ही ऐसी अधोसंरचना की लागत का भुगतान आवेदक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया गया हो, समस्त प्रयोजनों के लिये अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी। अनुज्ञप्तिधारी इसका संधारण (रख-रखाव) अपने स्वयं के व्यय पर करेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह सेवा संयोजन (Service Connection) का उपयोग इसके विस्तार (extension) द्वारा या फिर निकासी (tapping) द्वारा इनकी

क्षमता में आवर्धन द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से करे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार किया गया विस्तार या आवर्धन विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करता हो।”

**4.4 मूल संहिता के विनियम 4.5 के स्थान पर विनियम 4.5 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“4.5 जब अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण प्रसंवाही (Distribution Main) का विस्तार कार्य पूर्ण करता है और विद्युत आपूर्ति के लिये तैयार हो तो अनुबन्ध में किये गये उल्लेखानुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को विद्युत आपूर्ति की प्राप्ति हेतु उसे एक सूचना-पत्र (नोटिस) तामील करेगा। यदि आवेदक सूचना-पत्र की अवधि के भीतर विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने में चूक करता है तो सूचना-अवधि की समाप्ति की तिथि के दूसरे दिन से अनुबन्ध प्रभावशील हो जाएगा तथा तत्पश्चात् उपभोक्ता अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समस्त प्रभारों के भुगतान का देनदार होगा।”

**4.5 मूल संहिता के विनियम 4.53 के स्थान पर विनियम 4.53 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“4.53 यदि कोई आवेदक कृषि संयोजन प्राप्ति का इच्छुक हो तो वह कृषि उपयोग हेतु अस्थाई संयोजन के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में, आवेदक को प्रस्तावित अस्थाई संयोजन की अवधि की भुगतान योग्य सम्पूर्ण देयक राशि, तत्समय लागू प्रभारों अनुसार, का भुगतान करना होगा। अस्थाई संयोजनों पर लागू समस्त प्रभार तथा अन्य शर्तें प्रचलित विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार लागू होगी। इस प्रावधान में निहित किसी बकाया राशि का भुगतान न करने का दोषी पाये जाने पर उपभोक्ता को पुरानी बकाया राशियों का निपटान होने तक नवीन संयोजन प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी इस प्रावधान के अधीन विद्युत आपूर्ति के लिये विशेष रूप से स्थापित उपकरण को अस्थाई संयोजन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त हटाये जाने हेतु पूर्णतया प्राधिकृत होगा।”



**4.6 मूल संहिता के विनियम 4.59 के स्थान पर विनियम 4.59 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“4.59 उच्च दाब औद्योगिक संयोजन हेतु इच्छुक किसी उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति सामान्यतः केवल उद्योगों के लिये प्रयोज्य, संभरकों (feeders) के माध्यम से की जाएगी। सतत प्रसंस्करण उद्योग (Continuous Process Industry) धारित करने वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों में यथा संभव विद्युत प्रदाय निकटतम 33/11 kV या अति उच्च दाब केन्द्र (EHT Sub Station) से एक पृथक संभरक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।”

**4.7 मूल संहिता के विनियम 4.60 के स्थान पर विनियम 4.60 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“4.60 उच्च दाब संयोजन (दोनों 11 kV या 33 kV से संबद्ध) हेतु इच्छुक नवीन आवेदक को सामान्यतः किसी ग्रामीण संभरक से विद्युत आपूर्ति का विस्तार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि किसी तकनीकी कारण से ग्रामीण संभरक से विद्युत की आपूर्ति की जाती है तो आवेदक को इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि ग्रिड की परिस्थितियों के अनुसार ग्रामीण संभरकों के विद्युत प्रदाय को प्रतिबंधित एवं विनियमित किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के प्रतिबन्धों के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्तिधारी पर क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व न होने का एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, निष्पादित अनुबन्ध के अन्तर्गत इस स्थिति के बारे में विशेष कण्डिका के अधीन इस तथ्य का उल्लेख भी किया जाएगा।”

**4.8 मूल संहिता के विनियम 4.62 के स्थान पर विनियम 4.62 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“4.62 अति उच्च दाब संयोजन हेतु इच्छुक आवेदकों को विद्युत प्रदाय की मांग की पूर्ति के लिये निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण करेंगे। आवेदक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा। उपर्युक्त दोनों अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता

की जांच करेंगे तथा भावी उपभोक्ता हेतु इसे साध्य पाये जाने पर विद्युत आपूर्ति का बिन्दु निर्धारित करेंगे।”

**5. मूल संहिता के अध्याय 6 में संशोधन :**

**5.1 मूल संहिता के विनियम 6.36 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए, अर्थात् :**

मूल संहिता के विनियम 6.36 में अंकित चिन्ह “/” के पश्चात् शब्दों “संयोजित भार” के स्थान पर शब्द “स्वीकृत भार (sanctioned load)” स्थापित किए जाएं।

**5.2 मूल संहिता के विनियम 6.44 को विलोपित किया जाए।**

**6. मूल संहिता के अध्याय 7 में संशोधन :**

**6.1 मूल संहिता के विनियम 7.1 के स्थान पर विनियम 7.1 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“उपभोक्ताओं की निम्न दाब घरेलू श्रेणी को छोड़कर निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु स्वीकृत भार—आधारित विद्युत—दर (टैरिफ) के अन्तर्गत, स्थाई प्रभारों (fixed charges) हेतु बिलिंग उपभोक्ता के स्वीकृत भार (sanctioned load) के आधार पर की जाएगी। उपभोक्ताओं की घरेलू श्रेणी हेतु स्थाई प्रभारों की बिलिंग तत्संबंधी वर्षों हेतु निर्धारित खुदरा आपूर्ति विद्युत दर आदेशों (retail supply tariff orders) के आधार पर की जाएंगी :

परन्तु यह कि निम्न दाब घरेलू (LT domestic) तथा एकल फेज गैर—घरेलू उपभोक्ताओं (single phase non-domestic consumers) की श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत भार (sanctioned load) नवीन संयोजन प्राप्त करते समय आवेदित भार (load applied) के अनुसार होगा तथा निम्न दाब घरेलू तथा एकल फेज गैर—घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य प्रकरणों में स्वीकृत भार उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार होगा :

परन्तु आगे यह और भी कि घरेलू श्रेणी में उपभोक्ता द्वारा धारित संयोजित भार स्वीकृत भार से अधिक हो सकता है :

परन्तु यह और भी कि स्मार्ट मापयन्त्र (smart meter) की स्थापना के पश्चात्, यदि न्यूनतम तीन बिलिंग चक्रों के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में

अभिलेखित उच्चतम मांग स्वीकृत भार से अधिक हो तो स्वीकृत भार (sanctioned load) स्वयमेव (automatically) समस्त दृष्टांतों (instances) की उच्चतम मांग के न्यूनतम आंकड़े के अनुसार पुनरीक्षित किया जाकर स्थिर हो जाएगा जब अभिलेखित उच्चतम मांग समस्त बिलिंग चक्रों के अन्तर्गत स्वीकृत भार से अधिक पाई गई हो। पुनरीक्षित स्वीकृत भार आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम बिलिंग चक्र के प्रथम दिवस से प्रभावशील होगा बशर्ते यह विद्यमान आपूर्ति व्यवस्था से बढ़े हुए स्वीकृत भार के प्रबन्धन हेतु तकनीकी रूप से व्यावहारिक हो :

परन्तु यह और भी कि उपभोक्ता को यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम 2022 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भार में वृद्धि हेतु प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा यथाप्रयोज्य अनुपूरक अनुबन्ध भी निष्पादित करना होगा :

परन्तु यह और भी कि उच्चतम मांग में कम होने संबंधी प्रकरण में, स्वीकृत भार का पुनरीक्षण इस संहिता में निर्दिष्टानुसार किया जाएगा।”

**6.2 मूल संहिता के विनियम 7.2 के प्रथम अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद 7.2 स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“7.2 ऐसे उपभोक्ताओं की संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अनुरूप होगी।”

**6.3 मूल संहिता के विनियम 7.6(ड) को विलोपित किया जाए।**

**6.4 मूल संहिता के विनियम 7.16 के स्थान पर विनियम 7.16 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“7.16 उपभोक्ता को इस प्रकार से संविदा मांग में कमी किये जाने के कारण उसे नवीन संयोजन प्रभारों/विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) का प्रत्यर्पण (refund) प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। तथापि, यदि उपभोक्ता संविदा मांग में कमी किये

जाने के पश्चात् अनुवर्ती तौर पर पुनः संविदा मांग में वृद्धि करने का इच्छुक हो तो ऐसी दशा में उसे विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों आदि का भुगतान करना अनिवार्य होगा जैसा कि वे ऐसा अनुरोध करते समय प्रयोज्य थे :

परन्तु यह कि यदि इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व विद्यमान निम्न दाब संयोजनों के प्रकरण में जहां विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान संलग्न भार के आधार पर पूर्व में किया जा चुका हो वहां उस संयोजित भार तक संविदा मांग में वृद्धि हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान देय न होगा।”

**6.5 मूल संहिता के विनियम 7.26 के प्रथम अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद 7.26 स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“7.26-यदि कोई उपभोक्ता, यथास्थिति, स्वीकृत भार (Sanctioned Load) या संविदा मांग (contract demand) से अधिक मात्रा में विद्युत की खपत करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ता की बिलिंग टैरिफ आदेश में दी गई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

परन्तु यह कि स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना के पश्चात्, स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना तिथि से पूर्व की अवधि हेतु स्मार्ट मापयन्त्र में अभिलेखित की गई उच्चतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि किसी बिलिंग चक्र में यदि स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) द्वारा अभिलेखित अधिकतम मांग, यथास्थिति, स्वीकृत भार/संविदा मांग से अधिक हो जाए तो उक्त बिलिंग चक्र हेतु देयक की गणना, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो, वास्तविक अभिलेखित उच्चतम मांग की गणना के आधार पर प्रचलित खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश में दर्शाई गई रीति के अनुसार की जाएगी तथा उपभोक्ता को गणना के इस परिवर्तन के संबंध में सूचना लघु सन्देश सेवा (SMS) अथवा मोबाइल अनुप्रयोग (Mobile Application) के माध्यम से सम्प्रेषित की जाएगी।”

आयोग के आदेशानुसार,  
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 27<sup>th</sup> March 2025

No. 570 / MPERC /2025. In exercise of the powers conferred under Section 181(1) read with Section 43(1), Section 44, Section 45, Section 46, Section 47, Section 48 (b), Section 50, Section 56, Section 181(2)(w), Section 181(2)(x) of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) and Section 9(j) of Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001), and all other powers enabling in that behalf, Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 (No. RG- 1(II) of 2021) herein after referred to as the 'Principal Code' namely: -

#### **FIFTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY SUPPLY CODE, 2021**

##### **1. Short Title and Commencement-**

- 1.1. This Code shall be called "Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021 (Fifth Amendment) [ARG-1(II)(v) of 2025]".
- 1.2. This Code shall come into force from the date of its publication in the official Gazette of Government of Madhya Pradesh.

##### **2. Amendment to Chapter 2 of the Principal Code:**

###### **2.1 A new Regulation 2.1 (ba) shall be inserted after Regulation 2.1 (b) of the Principal Code, namely:**

"2.1 (ba) "Applicant" means a person who is the owner and/or occupier of any premises or Builder/Developer/Society/Group of prospective consumers who has submitted the application to the Distribution Licensee for supply of electricity;"

###### **2.2 A new Regulation 2.1 (n) shall be substituted in place of existing Regulation 2.1 (n) of the principal code, namely:**

"2.1 (n) "Consumer" means any person who is supplied with electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be. A consumer is:

- (i) "Low Tension Consumer (LT Consumer) if he obtains supply from the

licensee at Low Voltage:

- (ii) "High Tension Consumer (HT Consumer) if he obtains supply from the licensee at High Voltage:
- (iii) "Extra High-Tension Consumer (EHT Consumer) if he obtains supply from the licensee at Extra High Voltage.

**2.3 A new Regulation 2.1 (ooa) shall be inserted after existing Regulation 2.1 (oo) of the principal code, namely:**

"2.1 (ooa) "Sanctioned load" means load in kilowatt (kW) / kilovolt ampere (kVA) / Horsepower (HP) as approved by the licensee based on the application of the consumer or as per the agreement entered into between consumer and the licensee, as the case may be, from time to time subject to governing terms and conditions;

**3. Amendment to Chapter 3 of the Principal Code:**

**A new Regulation 3.4 shall be substituted in place of existing Regulation 3.4 of the Principal Code, namely:**

"3.4 The supply voltage for different Sanctioned load / contract demand shall normally be as follows:

Supply Voltage	Minimum Sanctioned Load or Contract Demand as the case may be	Maximum Sanctioned Load or Contract Demand as the case may be
230 Volts	-----	5 kW
400 Volts	Above 2 kW	(i) Demand based tariff: 150 kW contract demand with no ceiling of connected load. (ii) Sanctioned load based tariff: 150 kW.
Supply Voltage	Minimum Contract Demand	Maximum Contract Demand
11 kV	50 kVA	300 kVA
33 kV	100 kVA	10000 kVA
132 kV	5000 kVA	50000 kVA
220 kV or more	40000 kVA	-----

Provided that if licensee is satisfied that there are sufficient grounds for deviation in the norms above stated and that such deviation is technically feasible, it may grant the same for reasons to be recorded in writing.”

**4. Amendment to Chapter 4 of the Principal Code:**

**4.1** In Regulations 4.1 (b) and 4.1 (c), Regulation 4.6, Regulation 4.7, Regulation 4.15, Regulation 4.16, Regulation 4.21, Regulation 4.22, Regulation 4.23, Regulation 4.24, Regulation 4.26, Regulation 4.27, Regulation 4.28, Regulation 4.29, Regulation 4.42, Regulation 4.49, Regulation 4.50, Regulation 4.51, Regulation 4.52, Regulation 4.54, first four sentences of Regulation 4.58, Regulation 4.61, Regulation 4.63 and Regulation 4.64, of the Principal Code, words “consumer” and/or “consumers” shall be substituted by word “applicant” and/or “applicants” respectively.

**4.2 Regulation 4.3 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.3, namely:**

“4.3 The cost of extension of distribution mains and/or extension /upgradation of the system up to the point of supply for meeting demand of applicants along with supply affording charges etc. shall be payable by the applicants as per the provisions made in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations, as applicable and amendments thereof.”

**4.3 Regulation 4.4 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.4, namely:**

“4.4 The infrastructure laid up to the point of supply for giving supply to the applicant which may be within/outside the premises of the applicant up to the metering point, notwithstanding that cost of such infrastructure has been paid for by the applicant to the licensee, shall be the property of the licensee for all purposes. The licensee shall maintain it and shall also have the right to use the same for supply of energy to any other person by extending or tapping it or augmenting its capacity. Provided that such extension or tapping or augmentation does not adversely affect the reliability and quality of supply or quality of service to the existing consumers.”

**4.4 Regulation 4.5 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.5, namely:**

“4.5 When the licensee completes the work of extension of distribution mains and is ready to give supply, the licensee shall serve a notice on the applicant to take power supply within a stipulated period as mentioned in the agreement.

If the applicant fails to avail supply within the notice period, the agreement shall come into force from the day following the end of the notice period, and thereafter the consumer shall be liable to pay all charges due from him as per the agreement.”

**4.5 Regulation 4.53 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.53, namely:**

“4.53 If an applicant seeking agricultural connection wishes, he may seek temporary connection for agricultural use. In such case, the applicant shall pay the entire amount of bill for charges applicable at the time of serving temporary connection for the entire period of proposed temporary connection as advance. All other conditions as applicable to temporary connections as per tariff order shall be applicable. In case a consumer defaults in clearing any dues under this provision, he shall not be provided new connection till previous dues are cleared. The licensee shall have the right to remove any equipment specifically installed for providing supply under this provision, after the period of temporary connection is over.”

**4.6 Regulation 4.59 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.59, namely:**

“4.59 Supply to an applicant seeking HT industrial connection shall normally be given through HT feeder exclusively meant for industries. The extension of supply through a separate feeder from the nearest 33/11 kV or EHT substation in case of applicants seeking connection in continuous process industry would be preferred.”

**4.7 Regulation 4.60 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.60, namely:**

“4.60 Normally, the supply to new applicant seeking HT connection (both at 11 kV or 33 kV) shall not be extended from the rural feeder. If for any technical reason, the supply is to be given from a rural feeder, the applicant shall be informed that the supply shall be restricted and regulated in accordance with the restrictions imposed on the rural feeders as per grid conditions. Such applicants may be required to furnish a declaration to the licensee indemnifying the licensee for the restrictions in supply. Also, this should be mentioned in the agreement under special clause.”

**4.8 Regulation 4.62 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.62, namely:**

“4.62 The procedure as specified in requisition for supply shall be followed for



giving supply to applicants seeking E.H.T. connection. The Distribution licensee and the Transmission Licensee shall carry out the inspection jointly. The applicant or his authorized representative shall remain present at the time of inspection. The two licensees shall check the feasibility of supply and if found feasible shall fix the point of supply.”

**5. Amendment to Chapter 6 of the Principal Code:**

**5.1. Regulation 6.36 of the Principal Code shall be amended as follows, namely:**

Words “connected load” in the Regulation 6.36 of the Principal Code, after “/” sign shall be substituted by the words “sanctioned load”.

**5.2. Regulation 6.44 of the Principal Code shall be omitted.**

**6. Amendment to Chapter 7 of the Principal Code:**

**6.1. Regulation 7.1 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 7.1, namely:**

“7.1 In sanctioned load-based tariff for LT consumers, other than LT domestic category of consumers, the billing of fixed charges will be done on the basis of sanctioned load of the consumer. Billing of fixed charges for domestic category of consumers shall be done as laid down in retail supply tariff orders of respective years.

Provided that the sanctioned load in LT domestic and single phase non-domestic consumers shall be the load applied by the consumer at the time of taking new connection and in case of LT connections other than LT domestic and single phase non-domestic consumers, the sanctioned load shall be as per agreement entered into between consumer and the licensee.

Provided further that in domestic category, the consumer may have connected load more than the sanctioned load;

Provided also that after the installation of smart meter, in case, recorded maximum demand exceeds the sanctioned load, for at least three billing cycles during a financial year, the sanctioned load shall stand automatically revised to the lowest of the maximum demand of all the instances when the recorded maximum demand has exceeded the sanctioned load in billing cycles. The revised sanctioned load shall be effective from the 1<sup>st</sup> day of 1<sup>st</sup> billing cycle of the next financial year provided it is technically feasible to cater enhanced sanctioned load from existing supply arrangement:

Provided also that the consumer shall pay the charges as applicable for enhancement of load as specified in MPERC (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) (Revision-II) Regulations 2022, as amended from time to time and execute a supplementary agreement, wherever applicable:

Provided also that in case of reduction of maximum demand, the revision of sanctioned load shall be done as specified in this Code.”

**6.2. First paragraph of Regulation 7.2 of the Principal Code shall be substituted by following paragraph, namely:**

“7.2 The Contract Demand shall be as per agreement entered into between the consumer and the Licensee.”

**6.3. Regulation 7.6 (e) of the Principal Code shall be omitted.**

**6.4. Regulation 7.16 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 7.16, namely:**

“7.16 The consumer shall not be entitled to get refund of new connection charges/supply affording charges on account of such reduction in contract demand. However, if the consumer subsequently, after reduction in contract demand requires enhancement of the contract demand again, he shall be required to pay supply affording charges etc. as applicable at the time of such request.

Provided that in case of existing LT connections for which supply affording charges based on connected load have already been paid prior to notification of these Regulations, for enhancement of contract demand, supply affording charges shall not be payable upto the connected load for which these charges have already been paid.”

**6.5. Regulation 7.26 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 7.26, namely:**

“7.26 In case the consumer is found consuming electricity in excess of the sanctioned load or contract demand, as the case may be, such consumer shall be billed as per the procedure detailed in the tariff order;

Provided that after the installation of smart meter, no penalty shall be imposed on the consumer, based on the maximum demand recorded by the smart meter, for the period before the installation date of smart meter:

Provided further that in case maximum demand recorded by the smart meter exceeds the sanctioned load/contract demand, as the case may be, in a billing cycle, the bill, for that billing cycle, shall be calculated on the basis of actual recorded maximum demand, in the manner as laid down in retail supply tariff order in force, wherever applicable, and consumer shall be informed of this change in calculation through short message service (SMS) or mobile application.”

By order of the Commission,  
UMAKANTA PANDA, Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2025

क्रमांक -571/मप्रविनिआ/2025 - विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181, सहपठित धारा 45(3)(ख) एवं धारा 46 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा दिनांक 31.05.2022 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण-द्वितीय), विनियम 2022, जिसे एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :-

**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण-द्वितीय), विनियम 2022 में प्रथम संशोधन**

**1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**

(1) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण-द्वितीय), विनियम 2022 (प्रथम संशोधन) {एआरजी-31(II)(एक), वर्ष 2025}" कहलायेंगे।

(2) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्रों में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

**2. विनियम 2 में संशोधन :**

2.1 मूल विनियम के विद्यमान विनियम 2.1(ग) के पश्चात् नवीन विनियम 2.1(ग1) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"2.1(ग1) "उपभोक्ता (Consumer)" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे एक अनुज्ञापिधारी (licensee) या अधिनियम या अन्य किसी प्रचलित विधि के अधीन आम जनता को विद्युत आपूर्ति के व्यवसाय में संलग्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा इसमें ऐसा व्यक्ति भी

सम्मिलित है जिसका परिसर कुछ समय के लिये विद्युत की प्राप्ति के प्रयोजन से यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों, शासन या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से संयोजित किया गया है। कोई भी व्यक्ति :

- (एक) निम्न दाब उपभोक्ता (LT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से निम्न वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो ;
- (दो) उच्च दाब उपभोक्ता (HT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो ;
- (तीन) अति उच्च दाब उपभोक्ता (EHT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से अति उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;

2.2 मूल संहिता के विद्यमान विनियम 2.1 (ज) के पश्चात् नवीन विनियम 2.1(ज1) स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“2.1(ज1) “विद्युतीकृत क्षेत्र (Electrified Area)” से अभिप्रेत है कोई भौगोलिक क्षेत्र या उसका कोई भाग जो उक्त क्षेत्र के आवेदकों के आस-पास ऐसे आवेदकों की मांग के प्रबन्धन हेतु वितरण प्रणाली धारित करता है;”

2.3 मूल विनियम के विद्यमान विनियम 2.1 (प) के पश्चात् नवीन विनियम 2.1(प1) स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“2.1(प1) “स्वीकृत भार (Sanctioned Load)” का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में परिभाषित किया गया है ;”

2.4 मूल विनियमों के विनियम 2.1 (य) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :-

मूल विनियमों के विनियम 2.1(य) में शब्दों “संयोजित भार में वृद्धि हेतु” के स्थान पर शब्द “स्वीकृत भार/संविदा मांग में वृद्धि हेतु” स्थापित किये जाएं।

3. विनियम 3 में संशोधन :

3.1 मूल विनियमों के विनियम 3.2 के स्थान पर विनियम 3.2 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“3.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति आवेदक को विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने या विद्यमान निम्न दाब संयोजन के स्वीकृत भार/संविदा मांग में वृद्धि हेतु और विद्यमान उच्च दाब संयोजन हेतु संविदा मांग में वृद्धि हेतु आवेदक/उपभोक्ता से केवल आयोग द्वारा इन विनियमों के माध्यम से ही अनुमोदित प्रभारों की अग्रिम वसूली करेगा। किलोवाट (kW) से किलोवाट एम्पीयर (kVA) में परिवर्तन हेतु (तथा विपरीत क्रम से भी) ऊर्जा कारक (Power Factor) का मूल्य निम्न दाब संयोजनों (LT Connections) हेतु 0.8 तथा उच्च दाब संयोजनों (HT Connections) हेतु 0.9 लिया जाएगा। इन प्रभारों का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर ही संयोजन को सेवाकृत किया जाएगा/भार में वृद्धि अनुज्ञेय की जाएगी।”

**3.2 मूल विनियमों के विनियम 3.3 के स्थान पर विनियम 3.3 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“3.3 निम्न दाब संयोजनों हेतु यथास्थिति स्वीकृत भार (Sanctioned Load)/संविदा मांग (contract demand) में वृद्धि तथा उच्च दाब संयोजनों (HT Connections) हेतु संविदा मांग में वृद्धि के लिए संविदा मांग हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) यथास्थिति कुल स्वीकृत भार/संविदा मांग हेतु निम्न दाब संयोजनों हेतु कुल संविदा मांग में से, तत्संबंधी स्लैबों के अन्तर्गत वृद्धि से पूर्व विद्यमान संयोजित भार/संविदा मांग को प्रयोज्य भार घटा कर की जाएगी, जैसा कि इन विनियमों में उपबंधित किया गया है :

परन्तु यह कि यदि यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अनुसार एक विशिष्ट स्तर पर अनुज्ञेय सीमा के परे किये गये स्वीकृत भार/संविदा मांग में वृद्धि करने के इच्छुक होने के कारण परिवर्तन का इच्छुक हो या फिर उच्चतर वोल्टेज पर परिवर्तन होने के इच्छुक हों जो कि उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु पात्रता रखता हो ऐसे उपभोक्ता को स्वीकृत भार/संविदा मांग हेतु ऐसी उच्चतर वोल्टेज स्तर पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान करना होगा।”

**3.3 मूल विनियमों के विनियम 3.4 के स्थान पर विनियम 3.4 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“3.4 निम्न दाब उपभोक्ताओं/आवेदकों हेतु भार का प्राक्कलन, जहां कहीं भी यह स्वीकृत भार आधारित विद्युत-दर के अधीन आवश्यक हो, का निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसी आधार पर किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में उपबन्धित किया गया है जो इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि निम्न दाब (LT) पर कुल मांग किये गये भार समय-समय पर यथासंशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार निम्न दाब हेतु निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न होगा। तथापि निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मांग-अवधारित विद्युत-दर (demand based tariff) के अधीन तथा समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु संविदा मांग उपभोक्ता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार होगी।”

**4. विनियम 4 में संशोधन :**

**4.1 मूल विनियम के विद्यमान विनियम 4.1.4 के उपरान्त एक नवीन विनियम 4.1.**

**4(क) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-**

“4.1.4(क) विद्युतीकृत क्षेत्र (electrified area) में, विकल्प के रूप में, उपरोक्त विनियम क्रमांक 4.1.1 से 4.1.4 में उल्लेखित लागतों तथा प्रभारों के भुगतान के बजाय उपभोक्ता/आवेदक को नवीन संयोजन/भार में वृद्धि का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न प्रभार प्रति किलोवाट आधार पर जमा करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इन प्रभारों में सेवा तन्तुपथों (service lines) की लागत सम्मिलित होगी परन्तु ऊर्जा मापयन्त्र (energy meter) की लागत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता/आवेदक जो निम्न उल्लेखित प्रभारों के भुगतान हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करता हो, को वास्तविक आधार पर अधोसंरचना के व्ययों का भुगतान नहीं करना होगा। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता/आवेदक द्वारा निम्नानुसार निर्धारित प्रभारों का

भुगतान कर दिये जाने पर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अधोसंरचना का विस्तार कर दिया जाएगा :-

सरल क्रमांक	स्वीकृत भार (Sanctioned Load)	विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges)
एक	गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का उपभोक्ता (BPL Consumer)/आवेदक, जिसका भार 500 वाट (w) तक हो	रु. 2,300/-
दो	समस्त उपभोक्ता/आवेदक जिनका भार 500 वाट (w) से अधिक है तथा 3 किलोवाट तक है, जिनमें उपरोक्त सरल क्रमांक (एक) के उपभोक्ता सम्मिलित नहीं है	1 (kW) तक - रु. 2,600/- 1 (kW) से अधिक 2 (kW) तक - रु. 3,000/- 2 (kW) से अधिक 3 (kW) तक - रु. 3,300/-
तीन	3 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 10 किलोवाट (kW) से अनाधिक	3 (kW) से अधिक 4 (kW) तक - रु. 4,300/- 4 (kW) से अधिक 5 (kW) तक - रु. 5,300/- 5 (kW) से अधिक 6 kW तक - रु. 6,300/- 6 (kW) से अधिक 7 (kW) तक - रु. 7,300/- 7 (kW) से अधिक 8 (kW) तक - रु. 8,300/- 8 (kW) से अधिक 9 (kW) तक - रु. 9,300/- 9 (kW) से अधिक 10 (kW) तक - रु. 10,300/-
चार	10 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 25 किलोवाट (kW) से अनाधिक	10 (kW) से अधिक 11 (kW) तक - रु. 12,800/- 11 (kW) से अधिक 12 (kW) तक - रु. 15,400/- 12 (kW) से अधिक 13 (kW) तक - रु. 17,900/- 13 (kW) से अधिक 14 (kW) तक - रु. 20,400/- 14 (kW) से अधिक 15 (kW) तक - रु. 22,900/- 15 (kW) से अधिक 16 (kW) तक - रु. 25,400/- 16 (kW) से अधिक 17 (kW) तक - रु. 28,000/- 17 (kW) से अधिक 18 (kW) तक - रु. 30,500/- 18 (kW) से अधिक 19 (kW) तक - रु. 33,000/- 19 (kW) से अधिक 20 (kW) तक - रु. 35,500/- 20 (kW) से अधिक 21 (kW) तक - रु. 37,800/- 21 (kW) से अधिक 22 (kW) तक - रु. 40,300/- 22 (kW) से अधिक 23 (kW) तक - रु. 42,800/- 23 (kW) से अधिक 24 (kW) तक - रु. 45,300/- 24 (kW) से अधिक 25 (kW) तक - रु. 47,900/-
पांच	25 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 50 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रु. 47,900+रु. 4,200/- प्रति अतिरिक्त किलोवाट 3 या उसके किसी अंश हेतु, जिसके अनुसार संयोजित भार 25 किलोवाट (kW) से अधिक है
छः	50 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 150 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रु. 10,000/- प्रति किलोवाट उसके किसी अंश हेतु

4.2 मूल विनियम के विद्यमान विनियम 4.1.11 के उपरान्त एक नवीन विनियम 4.1.12 अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"4.1.12 विद्युतीकृत क्षेत्र में, विकल्प के रूप में, विनियम 4.1.7 में उल्लेखित लागतों तथा प्रभारों के भुगतान के बजाय, उपभोक्ता/आवेदक को निम्न प्रभारों को प्रति किलोवाट आधार पर भार के नवीन संयोजन/वृद्धि का लाभ प्राप्त

करने हेतु आवेदन के साथ जमा करने का विकल्प होगा जिसे आवेदक(ि) द्वारा अधोसंरचना के विकास उपरान्त निष्पादित किया जाएगा जैसा कि विनियम 4.1.6 में इस बारे में उल्लेख किया गया है। इन प्रभारों में सेवा तन्तुपथों की लागत सम्मिलित है परन्तु ऊर्जा मापयन्त्र (energy meter) की लागत सम्मिलित नहीं है। निम्न उल्लेखित प्रभारों के भुगतान हेतु विकल्प देने वाला उपभोक्ता/आवेदक, भले ही यह 50 किलोवाट भार से अधिक अनुमानित भार हेतु लागू होता है, की आवश्यकता वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार हेतु स्थापना की लागत हेतु वास्तविक आधार पर आवश्यकता नहीं होगी तथा उपभोक्ता/आवेदक द्वारा निम्न निर्धारित प्रभारों का भुगतान किये जाने पर इस लागत को विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा :

सरल क्रमांक	स्वीकृत भार (Sanctioned Load)	विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges)
एक	गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का उपभोक्ता (BPL Consumer)/आवेदक, जिसका भार 500 वाट तक हो	रु. 2,300/-
दो	समस्त उपभोक्ता/आवेदक जिनका भार 500 वाट (w) से अधिक है तथा 3 किलोवाट तक है, जिनमें उपरोक्त सरल क्रमांक (एक) के उपभोक्ता सम्मिलित नहीं है	1 (kW) तक - रु. 2,300/- 1 (kW) से अधिक 2 (kW) तक - रु. 2,400/- 2 (kW) से अधिक 3 (kW) तक - रु. 4,300/-
तीन	3 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 10 किलोवाट (kW) से अनाधिक	3 (kW) से अधिक 4 (kW) तक - रु. 4,400/- 4 (kW) से अधिक 5 (kW) तक - रु. 4,500/- 5 (kW) से अधिक 6 (kW) तक - रु. 4,600/- 6 (kW) से अधिक 7 (kW) तक - रु. 4,700/- 7 (kW) से अधिक 8 (kW) तक - रु. 4,800/- 8 (kW) से अधिक 9 (kW) तक - रु. 4,900/- 9 (kW) से अधिक 10 (kW) तक - रु. 5,000/-
चार	10 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 25 किलोवाट (kW) से अनाधिक	10 (kW) से अधिक 11 (kW) तक - रु. 5,200/- 11 (kW) से अधिक 12 (kW) तक - रु. 5,500/- 12 (kW) से अधिक 13 (kW) तक - रु. 5,700/- 13 (kW) से अधिक 14 (kW) तक - रु. 6,000/- 14 (kW) से अधिक 15 (kW) तक - रु. 6,300/- 15 (kW) से अधिक 16 (kW) तक - रु. 6,500/- 16 (kW) से अधिक 17 (kW) तक - रु. 6,800/- 17 (kW) से अधिक 18 (kW) तक - रु. 7,000/- 18 (kW) से अधिक 19 (kW) तक - रु. 7,300/- 19 (kW) से अधिक 20 (kW) तक - रु. 7,500/- 20 (kW) से अधिक 21 (kW) तक - रु. 7,800/- 21 (kW) से अधिक 22 (kW) तक - रु. 8,000/- 22 (kW) से अधिक 23 (kW) तक - रु. 8,300/-



		23 (kW) से अधिक 24 (kW) तक - रु. 8,500/- 24 (kW) से अधिक 25 (kW) तक - रु. 8,800/-
पांच	25 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 50 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रु. 8,800+रु. 420/- प्रति अतिरिक्त किलोवाट या उसके किसी अंश हेतु, जिसके अनुसार संयोजित भार 25 किलोवाट (kW) से अधिक है
छः	50 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 150 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रु. 10,000/- प्रति किलोवाट उसके किसी अंश हेतु

**4.3 मूल विनियमों के विनियम 4.2.1 के स्थान पर विनियम 4.2.1 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“4.2.1 किसी गैर-घरेलू उपभोक्ता अथवा औद्योगिक उपभोक्ता/आवेदक अथवा विद्युत वाहन आवेशन केन्द्रों या फिर अन्य निम्न दाब उपभोक्ता/आवेदक जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु स्वीकृत भार/संविदा मांग ली जाएगी जैसा कि इसे वैयक्तिक उपभोक्ता/आवेदक द्वारा घोषित किया गया हो। तथापि, किसी बहु-उपभोक्ता संकुल (कॉम्प्लेक्स) में गैर-घरेलू उपभोक्ता(ओं)/आवेदक(ों) को शॉपिंग मॉल को सम्मिलित कर, विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी भार का प्राक्कलन अपार्टमेंट/संकुल (काम्प्लेक्स) के भवन के नक्शे के अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर भू-खण्डों (प्लॉट) अथवा अपार्टमेंटों के आकार के आधार पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के उपबन्ध के अनुसार करेगा।”

**4.4 मूल विनियमों के विनियम 4.2.2 के स्थान पर विनियम 4.2.2 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“4.2.2 उपरोक्त आधार पर प्राक्कलित भार या ऐसे संकुलों (काम्प्लेक्सों) में आवेदक(ों) द्वारा स्वीकृत भार (Sanctioned Load)/संविदा मांग (contract demand) यथास्थिति का योग, इनमें जो भी अधिक हो, को अपार्टमेंट/संकुल (काम्प्लेक्स) को विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की वसूली हेतु माना जाएगा।”

**4.5 मूल विनियमों के विनियम 4.2.4 के स्थान पर विनियम 4.2.4 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

“4.2.4(एक) 50 किलोवाट तक के स्वीकृत भार/संविदा मांग हेतु यथास्थिति वितरण ट्रांसफार्मर तथा 0.5 किलोमीटर तक के 11केवी तन्तुपथ विस्तार (लाइन एक्सटेंशन) हेतु, यदि आवश्यक हो तो इसका निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाएगा :

परन्तु यह कि आपूर्ति के अन्तिम बिन्दु या निकासी (टेपिंग) बिन्दु से 0.5 किलोमीटर के परे, उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार लागत विद्युत वाहन आवेशन केन्द्रों (चार्जिंग स्टेशनों) को छोड़कर, आवेदक द्वारा वहन की जाएगी। तथापि, जहां वैयक्तिक आवेदकगण जो 5 किलोवाट से अधिक का भार धारित करते हों, विद्युत आपूर्ति के अन्तिम बिन्दु/निकासी बिन्दु से 0.5 किलोमीटर के परे, उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) विस्तार के इच्छुक हों, वहां वितरण ट्रांसफार्मर की लागत को, केवल विद्युत वाहन आवेशन केन्द्रों को छोड़कर आवेदक(ों) द्वारा वहन किया जाएगा।

(दो) 50 किलोवाट से अधिक के स्वीकृत भार/संविदा मांग हेतु यथास्थिति वितरण ट्रांसफार्मर की लागत को केवल विद्युत वाहन आवेशन केन्द्रों को छोड़कर आवेदक(ों) द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि 0.5 किलोमीटर तक के 11केवी तन्तुपथ (लाइन) विस्तार कार्य का निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाएगा तथा विद्युत प्रदाय के अन्तिम बिन्दु अथवा निकासी बिन्दु से 0.5 किमी से अधिक उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) के विस्तार कार्य की लागत को आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा :

परन्तु यह कि और भी कि विद्युत वाहन आवेशन केन्द्रों हेतु 50 किलोवाट से परे विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यथास्थिति में वृद्धि के लिये ट्रांसफार्मर की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया जाएगा तथा इसकी लागत आवेदक(ों)/उपभोक्ता(ओं) द्वारा वहन की जाएगी।

उपभोक्ताओं/आवेदकों के लिये यह विकल्प होगा कि वे वांछित उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार की स्थापना का कार्य स्वयं अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टियों (specifications) के अनुसार

प्रचलित दर अनुसूची (Current Schedule of Rates) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा सम्पन्न करे।

4.6 मूल विनियमों के विनियम 4.2.6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए, अर्थात् :  
तालिका में दर्शाये गये शब्द "भार" के स्थान पर सर्वत्र वाक्यांश "प्राक्कलित स्वीकृत भार/संविदा मांग यथास्थिति" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएं।

4.7 मूल विनियमों के विनियम 4.2.6 के पश्चात् निम्न विनियम 4.2.6(क) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

4.2.6(क) विद्युतीकृत क्षेत्र में विकल्प के रूप में विनियम 4.2.6 में उल्लेखित लागतों तथा प्रभारों के भुगतान के बजाय, उपभोक्ता/आवेदक को निम्न प्रभारों को प्रति किलोवाट आधार पर भार के नवीन संयोजन/वृद्धि का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा करने का विकल्प होगा। इन प्रभारों में सेवा तन्तुपथों की लागत को सम्मिलित किया जाएगा परन्तु ऊर्जा मापयन्त्र (energy meter) की लागत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। निम्न उल्लेखित प्रभारों के भुगतान हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ता/आवेदक भले ही यह 50 किलोवाट भार से अधिक अनुमानित भार हेतु लागू होता है, की आवश्यकता वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार हेतु स्थापना की लागत हेतु वास्तविक आधार पर आवश्यकता नहीं होगी तथा उपभोक्ता/आवेदक द्वारा निम्न निर्धारित प्रभारों का भुगतान किये जाने पर इस लागत को विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा :

सरल क्रमांक	यथास्थिति स्वीकृत भार/संविदा मांग (Sanctioned Load/Contract demand, as the case may be)	विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges)
एक	1 किलोवाट (kW) तक (एकल फेज) 1 किलोवाट (kW) से अधिक 2 किलोवाट (kW) तक 2 किलोवाट (kW) से अधिक 3 किलोवाट (kW) तक	रु. 2,800/- रु. 3,300/- रु. 3,800/-
दो	3 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 10 किलोवाट (kW) से अनाधिक	3 (kW) से अधिक 4 (kW) तक - रु. 5,300/- 4 (kW) से अधिक 5 (kW) तक - रु. 6,800/- 5 (kW) से अधिक 6 (kW) तक - रु. 8,300/- 6 (kW) से अधिक 7 (kW) तक - रु. 9,800/- 7 (kW) से अधिक 8 (kW) तक - रु. 11,400/- 8 (kW) से अधिक 9 (kW) तक - रु. 12,900/-

		9 (kW) से अधिक 10 (kW) तक - रु. 14,400/-
तीन	10 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 25 किलोवाट (kW) से अनाधिक	10 (kW) से अधिक 11 (kW) तक - रु. 18,200/- 11 (kW) से अधिक 12 (kW) तक - रु. 22,000/- 12 (kW) से अधिक 13 (kW) तक - रु. 25,700/- 13 (kW) से अधिक 14 (kW) तक - रु. 29,500/- 14 (kW) से अधिक 15 (kW) तक - रु. 33,300/- 15 (kW) से अधिक 16 (kW) तक - रु. 37,100/- 16 (kW) से अधिक 17 (kW) तक - रु. 40,900/- 17 (kW) से अधिक 18 (kW) तक - रु. 44,700/- 18 (kW) से अधिक 19 (kW) तक - रु. 48,500/- 19 (kW) से अधिक 20 (kW) तक - रु. 52,300/- 20 (kW) से अधिक 21 (kW) तक - रु. 56,100/- 21 (kW) से अधिक 22 (kW) तक - रु. 59,900/- 22 (kW) से अधिक 23 (kW) तक - रु. 63,600/- 23 (kW) से अधिक 24 (kW) तक - रु. 67,400/- 24 (kW) से अधिक 25 (kW) तक - रु. 71,200/-
चार	25 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 50 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रु. 71,200+रु. 6,300/- प्रति अतिरिक्त किलोवाट या उसके किसी अंश हेतु, जिसके अनुसार संयोजित भार/संविदा मांग 25 किलोवाट (kW) से अधिक है
पांच	50 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 150 किलोवाट (kW) से अनाधिक	रु. 10,000/- प्रति किलोवाट उसके किसी अंश हेतु

4.8 मूल विनियमों के विनियम 4.2.9 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए, अर्थात् :  
तालिका में दर्शाये गये शब्द "भार" के स्थान पर सर्वत्र वाक्यांश "प्राक्कलित स्वीकृत भार/संविदा मांग यथास्थिति" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएं।

4.9 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 4.2.11 के उपरान्त निम्न विनियम 4.2.11(क) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"4.2.11(क) विद्युतीकृत क्षेत्र में, विकल्प के तौर पर विनियम 4.2.6 में उल्लेखित लागतों तथा प्रभारों का भुगतान करने के बजाय उपभोक्ता/आवेदक के पास निम्न प्रभारों का भुगतान नवीन संयोजन/भार में वृद्धि का लाभ प्राप्त करने हेतु, आवेदन के साथ प्रति किलोवाट आधार पर करने का विकल्प होगा। इन प्रभारों में सेवा तन्तुपथों (service lines) की लागत सम्मिलित है परन्तु ऊर्जा मापयन्त्र (energy meter) की लागत सम्मिलित नहीं है :

सरल क्रमांक	यथास्थिति स्वीकृत भार/संशोधित भार (Sanctioned Load/Contract demand, as the case may be)	विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges)
एक	1 किलोवाट (kW) तक	यथास्थिति स्वीकृत भार/संविदा मांग के

दो	3 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 10 किलोवाट (kW) से अनाधिक	10	अनुसार रू. 11,500/- प्रति किलोवाट
तीन	10 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 25 किलोवाट (kW) से अनाधिक	25	
चार	25 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 50 किलोवाट (kW) से अनाधिक	50	
पांच	25 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 80 किलोवाट (kW) से अनाधिक	80	यथास्थिति स्वीकृत भार/संविदा मांग के अनुसार रू. 13,500/- प्रति किलोवाट
छः	80 किलोवाट (kW) से अधिक परन्तु 150 किलोवाट (kW) से अनाधिक	150	यथास्थिति स्वीकृत भार/संविदा मांग के अनुसार रू. 14,500/- प्रति किलोवाट

5. "अनुलग्नक एक : मापन तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची" में संशोधन

विद्यमान मद सोलह के उपरान्त एक नवीन मद सत्रह अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

**सत्रह . उपभोक्ताओं हेतु जांच विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र (Check Power Quality Meter) की स्थापना हेतु प्रभार**

उपभोक्ताओं की स्थापना पर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र/विश्लेषक के भाड़े की वसूली हेतु तथा इसकी स्थापना हेतु विद्युत गुणवत्ता सत्यापन प्रभारों (Power Quality Verification Charges-PQVC) हेतु उनके द्वारा अनुरोध किये जाने पर कार्रवाई जैसा कि इसका प्रावधान मप्रविनिआ (विद्युत गुणवत्ता), विनियम 2025 के विनियम 2.2.18 में किया गया है हेतु आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।"

आयोग के आदेशानुसार,  
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 27<sup>th</sup> March 2025

No 571/MPERC/2025 In exercise of the powers under Section 181 read with Section 45(3)(b) and Section 46 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and all other powers enabling in that behalf, Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations (Revision-II), 2022 notified on 31.05.2022 herein after referred to as the 'Principal Regulations' namely: -

**FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RECOVERY OF EXPENSES AND OTHER CHARGES FOR PROVIDING ELECTRIC LINE OR PLANT USED FOR THE PURPOSE OF GIVING SUPPLY) REGULATIONS (REVISION-II), 2022**

**1. Short Title and Commencement**

(1) These Regulations shall be called the 'Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) (Revision-II) Regulations, 2022 (First amendment) {ARG-31(II)(i) of 2025}.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**2. Amendment to Regulation 2:**

**2.1 A new Regulation 2.1 (c1) shall be inserted after existing Regulation 2.1 (c) of the Principal Regulations, namely:**

"2.1 (c1) "Consumer" means any person who is supplied with electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be. A consumer is:

- (i) "Low Tension Consumer (LT Consumer) if he obtains supply from the licensee at Low Voltage;
- (ii) "High Tension Consumer (HT Consumer) if he obtains supply from the licensee at High Voltage;
- (iii) "Extra High-Tension Consumer (EHT Consumer) if he obtains supply from the licensee at Extra High Voltage;

**2.2 A new Regulation 2.1 (h1) shall be inserted after existing Regulation 2.1 (h) of the Principal Regulations, namely:**

**“2.1 (h1) “Electrified area” shall mean any geographical area or part thereof which has distribution system in the vicinity of applicants of that area to cater to the demand of such applicant;”**

**2.3 A new Regulation 2.1 (u1) shall be inserted after existing Regulation 2.1 (u) of the Principal Regulations, namely:**

**“2.1 (u1) “Sanctioned load” shall have the same meaning as defined in Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021, as amended from time to time.”**

**2.4 Regulation 2.1 (z) of the Principal Regulations shall be amended as follows: -**

Words “Connected load” shall be substituted by the words “Sanctioned load/ Contract demand, as the case may be,” in Regulation 2.1 (z) of the Principal Regulations.

**3. Amendment to Regulation 3:**

**3.1 Regulation 3.2 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 3.2, namely: -**

**“3.2 The Distribution Licensee shall recover in advance the charges approved by the Commission through these Regulations only, from the applicant/ consumer for the purpose of giving supply of electricity to applicant or for enhancement of sanctioned load/Contract demand of the existing LT connection and for enhancement of Contract Demand for existing HT connection, as the case may be. Power factor for conversion of load in kW to kVA and vis-e-versa shall be taken as 0.8 in LT connections and 0.9 in HT connections. Service of connection/ enhancement of load shall be allowed only on receipt of these charges in full.”**

**3.2 Regulation 3.3 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 3.3, namely: -**

**“3.3 In case of enhancement of sanctioned load/contract demand, as the case may be, for LT connections and contract demand for HT connections, the Supply Affording Charges will be equal to charges applicable for total sanctioned load/contract demand, as the case may be, for LT connections and total Contract Demand for HT connections less charges applicable to existing sanctioned load/Contract Demand prior to enhancement under respective slabs as provided for in these Regulations:**

Provided that in case the consumer desires to switch over to higher voltage level due to increase in requisitioned sanctioned load/ contract demand beyond permissible limit at particular voltage level as per Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 as amended from time to time or desires to switch over to higher voltage having existing contract demand eligible for higher voltage load limits, such consumer shall be required to pay Supply Affording Charges for full sanctioned load/ contract demand at that higher voltage.”

**3.3 Regulation 3.4 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 3.4, namely: -**

“3.4 The estimation of load for LT consumers/applicants, wherever required, under sanctioned load based tariff, shall be done by the Distribution Licensee on the same basis as has been provided in the applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021, notified by the Commission, as amended from time to time, subject to the condition that the maximum limit of total requisitioned load at LT shall not be more than the limits specified for LT connection in the applicable Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021, as amended from time to time. However, in case of LT consumers under demand-based tariff and all HT consumers, the contract demand shall be as applied by the consumer / applicant.”

**4. Amendment to Regulation 4:**

**4.1 A new Regulation 4.1.4 (A) shall be inserted after existing Regulation 4.1.4 of the Principal Regulations, namely: -**

“4.1.4 (A) In the electrified area, as an alternative, instead of paying costs and charges mentioned in Regulations 4.1.1 to 4.1.4 above, the consumer/applicant shall have an option to deposit following charges on per kW basis with the application for availing new connection/enhancement of load. These charges are inclusive of cost of service lines but excluding the cost of the energy meter. The consumer/applicant opting for payment of charges mentioned below shall not be required to pay for infrastructure expenses on actual basis and the extension of infrastructure in such case shall be made by Discom once the charges stipulated below are paid by the consumer/applicant: -

Sl. No.	Sanctioned Load	Supply Affording Charges
i.	BPL consumer/applicant with load up to 500 W	Rs. 2300/-
ii.	All consumers/applicants with load above 500 W and up to 3 kW excluding those in (i) above	Upto 1kW - Rs. 2600/- Above 1 kW upto 2 kW- 3000/- Above 2 kW upto 3 kW- 3300/-
iii.	Above 3 kW but not exceeding 10 kW	Above 3 kW upto 4 kW- 4300/- Above 4 kW upto 5 kW- 5300/- Above 5 kW upto 6 kW- 6300/- Above 6 kW upto 7 kW- 7300/- Above 7 kW upto 8 kW- 8300/- Above 8 kW upto 9 kW- 9300/- Above 9 kW upto 10 kW- 10300/-
iv.	Above 10 kW but not exceeding 25 kW	Above 10 kW upto 11 kW- 12800/- Above 11 kW upto 12 kW- 15400/- Above 12 kW upto 13 kW- 17900/- Above 13 kW upto 14 kW- 20400/- Above 14 kW upto 15 kW- 22900/- Above 15 kW upto 16 kW- 25400/- Above 16 kW upto 17 kW- 28000/- Above 17 kW upto 18 kW- 30500/- Above 18 kW upto 19 kW- 33000/- Above 19 kW upto 20 kW- 35500/-



		Above 20 kW upto 21 kW- 37800/- Above 21 kW upto 22 kW- 40300/- Above 22 kW upto 23 kW- 42800/- Above 23 kW upto 24 kW- 45300/- Above 24 kW upto 25 kW- 47900/-
v.	Above 25 kW but not exceeding 50 kW	Rs. 47900/- + Rs. 4200/- per addl. kW or part thereof by which the connected load exceeds 25 kW
vi	Above 50 kW but not exceeding 150 kW	Rs. 10,000/- per kW or part thereof

**4.2 A new Regulation 4.1.12 shall be inserted after existing Regulation 4.1.11 of the Principal Regulations, namely: -**

“4.1.12 In the electrified area, as an alternative, instead of paying costs and charges mentioned in Regulations 4.1.7, the consumer/applicant shall have an option to deposit following charges on per kW basis with the application for availing new connection/enhancement of load, after development of infrastructure by the Applicant(s)-as mentioned in Regulations 4.1.6. These charges are inclusive of cost of service lines but excluding cost of the energy meter. The consumer/applicant opting for payment of charges mentioned below, even if it applies for estimated load above 50 kW load, shall not be required to pay cost of installation of Distribution Transformer and HT line extension on actual basis and this cost shall be borne by the Discom once the charges stipulated below are paid by the consumer/applicant: -

Sl. No.	Sanctioned Load	Supply Affording Charges
i.	BPL consumer/applicant with load up to 50 W	Rs. 2300/-
ii.	All consumers/applicants with load above 500 W and up to 3 kW excluding those in (i) above	Upto 1kW - Rs. 2300/- Above 1 kW upto 2 kW- 2400/- Above 2 kW upto 3 kW- 4300/-
iii.	Above 3 kW but not exceeding 10 kW	Above 3 kW upto 4 kW- 4400/- Above 4 kW upto 5 kW- 4500/- Above 5 kW upto 6 kW- 4600/- Above 6 kW upto 7 kW- 4700/- Above 7 kW upto 8 kW- 4800/- Above 8 kW upto 9 kW- 4900/- Above 9 kW upto 10 kW- 5000/-
iv.	Above 10 kW but not exceeding 25 kW	Above 10 kW upto 11 kW- 5200/- Above 11 kW upto 12 kW- 5500/- Above 12 kW upto 13 kW- 5700/- Above 13 kW upto 14 kW- 6000/- Above 14 kW upto 15 kW- 6300/- Above 15 kW upto 16 kW- 6500/- Above 16 kW upto 17 kW- 6800/- Above 17 kW upto 18 kW- 7000/- Above 18 kW upto 19 kW- 7300/- Above 19 kW upto 20 kW- 7500/- Above 20 kW upto 21 kW- 7800/- Above 21 kW upto 22 kW- 8000/- Above 22 kW upto 23 kW- 8300/-

		Above 23 kW upto 24 kW- 8500/- Above 24 kW upto 25 kW- 8800/-
v.	Above 25 kW but not exceeding 50 kW	Rs. 8800/- + Rs. 420/- per addl. kW or part thereof by which the connected load exceeds 25 kW
vi	Above 50 kW but not exceeding 150 kW	Rs. 10,000/- per kW or part thereof

**4.3 Regulation 4.2.1 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 4.2.1, namely: -**

“4.2.1. To provide power supply to a Non-Domestic or an Industrial consumer/applicant or to EV charging Stations or any other LT consumer/applicant not covered elsewhere, the Sanctioned load/Contract demand, as the case may be, shall be taken as declared by the individual consumer/applicant. However, for providing power supply to the non-Domestic consumer(s)/applicant(s) in a Multi-consumer Complex including shopping mall, the Distribution Licensee shall estimate the load on the basis of size of plots or apartments in the approved layout of the Building Plan of the Apartment/Complex as per the provision of Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 as amended from time to time.”

**4.4 Regulation 4.2.2 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 4.2.2, namely: -**

“4.2.2. The estimated load on the above basis or the sum of the sanctioned load/Contract demand, as the case may be, declared by the Applicant(s) in such complexes, whichever is higher, shall be considered for recovering charges for providing power supply to the Apartment/Complex.”

**4.5 Regulation 4.2.4 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation 4.2.4, namely: -**

“4.2.4 (i) For sanctioned load/Contract demand, as the case may be, up to 50 kW, installation of Distribution Transformer and 11 kV line extension up to 0.5 km, if required, shall be done by the Distribution Licensee at its cost:

Provided that cost towards HT line extension beyond 0.5 km from last point, of supply or tapping shall be borne by the Applicant except for EV Charging Stations. However, in case of individual Applicant(s) having load above 5 kW requiring HT line extension beyond 0.5 km from last point of supply or tapping, the cost of Distribution Transformer shall also be borne by the Applicant(s) except for EV Charging Stations.

(ii) For sanctioned load/contract demand, as the case may be, above 50 kW, the cost of Distribution Transformer shall be borne by the Applicant(s) except for EV Charging Stations. However, 11 kV line extension up to 0.5 km, shall be done by the Distribution Licensee at its cost and cost towards HT line extension beyond 0.5 km from last point of supply or tapping shall be borne by the Applicant:

Provided also that for enhancement of existing Sanctioned load/Contract demand, as the case may be, beyond 50 kW except for EV Charging Stations, additional capacity of the transformer shall be built and the cost shall be

borne by the Applicant(s)/Consumer(s):

The consumers/applicants shall also have the option either to lay the required HT Line extension on their own through a licensed contractor as per the specifications of the Licensee by paying supervision charges @ 5% of the cost of the work estimated by the Licensee as per Current Schedule of Rates.”

**4.6 Regulation 4.2.6 of the Principal Regulations shall be amended as follows, namely:**

Words “connected load” appearing in the table shall be replaced by the words “sanctioned load/contract demand, as the case may be.

**4.7 Following Regulation 4.2.6 (A) shall be inserted after existing Regulation 4.2.6 of the Principal Regulations, namely: -**

“4.2.6 (A) in the electrified area, as an alternative, instead of paying costs and charges mentioned in Regulation 4.2.6, the consumer/applicant shall have an option to deposit following charges on per kW basis with application for availing new connection/enhancement of load. These charges are inclusive of cost of service lines excluding cost of the energy meter. The consumers/applicants opting for payment of charges mentioned below, even if it applies for estimated load/contract demand, as the case may be, above 50 kW load, shall not be required to pay cost of installation of Distribution Transformer and HT line extension on actual basis and this cost shall be borne by the Discom once the charges stipulated below are paid by the consumer/applicant: -

Sl. No.	Sanctioned Load/Contract demand as the case may be	Supply Affording Charges
i.	Up to 1 kW (single phase) Above 1 kW Up to 2 kW Above 2 kW Up to 3 kW	Rs. 2800/- Rs. 3300/- Rs. 3800/-
ii.	Above 3 kW but not exceeding 10 kW	Above 3 kW upto 4 kW- 5300/- Above 4 kW upto 5 kW- 6800/- Above 5 kW upto 6 kW- 8300/- Above 6 kW upto 7 kW- 9800/- Above 7 kW upto 8 kW- 11400/- Above 8 kW upto 9 kW- 12900/- Above 9 kW upto 10 kW- 14400/-
iii.	Above 10 kW but not exceeding 25 kW	Above 10 kW upto 11 kW- 18200/- Above 11 kW upto 12 kW- 22000/- Above 12 kW upto 13 kW- 25700/- Above 13 kW upto 14 kW- 29500/- Above 14 kW upto 15 kW- 33300/- Above 15 kW upto 16 kW- 37100/- Above 16 kW upto 17 kW- 40900/- Above 17 kW upto 18 kW- 44700/- Above 18 kW upto 19 kW- 48500/- Above 19 kW upto 20 kW- 52300/- Above 20 kW upto 21 kW- 56100/- Above 21 kW upto 22 kW- 59900/- Above 22 kW upto 23 kW- 63600/- Above 23 kW upto 24 kW- 67400/- Above 24 kW upto 25 kW- 71200/-

iv.	Above 25 kW but not exceeding 50 kW	Rs. 71200/- + Rs. 6300/- per addl. kW or part thereof by which the connected load/Contract demand as the case may be exceeds 25 kW
v.	Above 50 kW but not exceeding 150 kW	Rs. 10,000/- per kW or part thereof"

**4.8 Regulation 4.2.9 of the Principal Regulations shall be amended as follows, namely:**

Words "connected load" appearing in the table shall be replaced by the words "sanctioned load/contract demand, as the case may be.

**4.9 following Regulation 4.2.11 (A) shall be inserted after existing Regulation 4.2.11 of the Principal Regulations, namely: -**

"4.2.11 (A) In the electrified area, as an alternative, instead of paying costs and charges mentioned in Regulations 4.2.6, the consumer/applicant shall have an option to deposit following charges on per kW basis with application for availing new connection/enhancement of load. These charges are inclusive of cost of service lines excluding cost of the energy meter: -

Sl. No.	Sanctioned Load/Contract demand as the case may be	Supply Affording Charges
i.	Up to 3 kW	Rs. 11500 per kW of sanctioned load/contract demand as the case may be
ii.	Above 3 kW but not exceeding 10 kW	
iii.	Above 10 kW but not exceeding 25 kW	
iv.	Above 25 kW but not exceeding 50 kW	
v.	Above 50 kW but not exceeding 80 kW	Rs. 13500 per kW of sanctioned load/contract demand as the case may be
vi.	Above 80 kW but not exceeding 150 kW	Rs. 14500 per kW of sanctioned load/contract demand as the case may be

**5. Amendment to "Annexure I: SCHEDULE OF OTHER CHARGES"**

**Item XVII shall be inserted after existing item XVI, namely:**

**"XVI Charges for installation of check power quality meter for the consumers**

Power Quality Verification Charges (PQVC) towards rent and installation of Power Quality Meter/ Analyzer on consumers installation on their request as provided in Regulation 2.2.18 of MPERC (power quality) Regulations 2025 shall be issued separately through an order."

By order of the Commission,  
UMAKANTA PANDA, Secy.